

315
2025

20/11/2024/680

ग्रामीण सेवा विभाग
पृष्ठ-8
SPD

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट).....

3
17.10.25

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता गुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शाश्वत व भूअनि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आचार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम शाश्वत तहसील जयपुर व जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 90 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शाश्वत	90	जानूराय द.पु. चौधुरी दि-1/3 जगि-माली सा-58 खातेदार शेष अंक 0.45	जानूराय प.पु. चौधुरी दि-1/3 जगि- माली सा-58 खातेदार शेष अंक 0.45

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर